संख्या- 242एम.एम./9-4-03-28इ/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2003

नगर विकास अनुभाग-4

विषयः- उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हताओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3857/11-1-86इजी/78, दिनांक 25-05-1979 में आंशिक संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 12 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु नियुक्ति के लिये निम्नलिखित अर्हताओं का निर्धारण करते है :-

सहायक अभियंता

अर्ह अवर अभियंता के पद पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता [illegible] से कम 10 वर्ष का नियमित सेवा जिसमें नगर पालिका, नगर महापालिका, [illegible] प्राधिकरण अथवा प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में तदर्थ, अस्थायी एवं स्थानापन्न सेवा भी शामिल है, पूर्ण करते हों। अर्हता तिथि, चयन वर्ष की पहली जुलाई मानी जायेगी।

अधिशासी अभियंता

ऐसे सहायक अभियंता में से पदोन्नति द्वारा जो उस कलेण्डर वर्ष जिसमें चयन किया जाये, की पहली जुलाई को पालिका अभियंत्रण केन्द्रीयित सेवा में सहायक अभियंता के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा जिसमें निरन्तर तदर्थ, अस्थाई और स्थानापन्न सेवा भी सम्मिलित होगी, पूर्ण करते हों।

मुख्य अभियंता

ऐसे अधिशासी अभियंता में से चयन द्वारा जो उस कलेण्डर वर्ष जिसमें चयन किया जाय, की पहली जुलाई को पालिका अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा में सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हों जिसके अंतर्गत निरन्तर तदर्थ, अस्थायी और स्थानापन्न सेवा भी सम्मिलित होगी।

परन्तु सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता व मुख्य अभियंता के लिये निर्धारित उक्त अर्हता को ज्येष्ठता सूची का कोई कनिष्ठ अधिकारी यदि पूर्ण करता है तो ज्येष्ठता सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारी अर्हता पूर्ण किया हुआ माना जायेगा।

2- अतः तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.5.1979 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।